(नियम 13)
(सिविल) Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

99

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 53/2019

मनोहरलाल उर्फ मंगलाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी चारा का आस तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरि भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रतिवादी

दावा रिकार्ड दुरूस्ती व नाम की घोषणा बाबत।

वकील वादी—श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी— राज पैरोकार तहसीलदार नवलगढ

निर्णय

निर्णय तिथि 04.10.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में खाता सं0 119 की भूमि ख.न. 3879/3219/0.03, 3870/3218/0.0850 3877/3266/0.1750 किता 3 कुल रकबा 0.56 है0 स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैत्रिक भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का ना मनोहरलाल की जगह मंगला राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसकी घोषणा व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये उक्त वाद पत्र सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम मनोहरलाल है समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम मनोहर लाल ही दर्ज है प्रार्थी को इस बात का पता नही था कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनोहरलाल की जगह मंगला चला आ रहा है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में मंगला के स्थान पर मनोहरलाल दर्ज करवाने के लिये वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई उक्त नाम की गलती सहवन व लापरवाही से हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्रामा चारा का बास की खाता संख्या 119 के भूमि ख. न. 3879/3219/0.03, 3870/3218/0.0850 3877/3266/0.1750 किता 3 कुल रकबा 0.56 है0 स्थित है जिसमें राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मंगला के स्थान पर मनोहरलाल दर्ज कर के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें जिसके लिये तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार उपस्थित होकर जबाबदावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम चारा का बास के मजमें आम में मनोहरलाल उर्फ मंगलाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट के बारे में पूछताछ की गई जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि मनोहरलाल पुत्र नारायणराम जाति जाट एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये राशनकार्ड, व दिनिांक 01.01.2013 का जारी मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड व एसबीआई आदि मे मनोहरलाल पुत्र नारायणराम अंकित है। अतः ग्राम मजमें आम में पूछ ताछ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवे सरपंच परसरामपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम की शुद्धि किया जाना उचित है।

जबाब दावा प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी व राजपैरोकार सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जबाब राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चारा का बास की भूमि ख.न. 3879/3219, 3870/3218 3877/3266 की खातेदारी मंगला पुत्र नारायण जाति जाट दर्ज होना अंकित किया गया है। वादी के दस्तावेजात परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड आदि में वादी का सही नाम मनोहरलाल पुत्र नारायणराम दर्ज होना साबित है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादी का सही नाम

Scanned by CamScanner

आदेश पत्रक
(नियम 13)
ies (civil) Rule 103 Appendix (B) ...

मनोहरलाल पुत्र नारायणराम नाम रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित होना वर्णित किया गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम चारा का बास की भूमि ख.न. 3879/3219, 3870/3218 3877/3266 की खातेदारी मंगला पुत्र नारायण जाति जाट के स्थान पर मनोहरलाल पुत्र नारायणराम दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner